



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 01.04.2025

- अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा गोवध व पशु क्रूरता के मामले में वांछित चल रहे 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना शिवली पर मु0अ0सं0 73/2025 धारा 3/5(क)/5(ख)/8 गोवंश वध निवारण अधिनियम वर्ष 1955 की संशोधित अध्यादेश 2020 व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम 02 नफर अभियुक्त नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त राजू पुत्र निजाम अहमद उर्फ भुट्टू टेलर निवासी ग्राम बड़ागांव थाना शाहगंज जिला जौनपुर उम्र करीब 23 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर शेखूपुर तिराहे के पास से आज दिनांक 01.04.2025 को गिरफ्तार किया गया व शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजू पुत्र निजाम अहमद उर्फ भुट्टू टेलर निवासी ग्राम बड़ागांव थाना शाहगंज जिला जौनपुर उम्र करीब 23 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 73/2025 धारा 3/5(क)/5(ख)/8 गोवंश वध निवारण अधिनियम वर्ष 1955 की संशोधित अध्यादेश 2020 व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अभिषेक चौहान
3. हे0कां0 343 संतोष कुमार
5. का0 भूपेन्द्र सिंह